संख्या-36/1/1976-कार्मिक-2/2005

प्रेषक,

बी.एन. दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक, 21 फरवरी, 2005

विषयः- राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों हेतु समय-सारिणी का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल, 1991 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(3) से (10) तक वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। समय सारिणी के अनुसार अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन उपलब्ध कराने की तिथि 15 मई नियत है। प्रविष्टि अंकित करने के लिए निर्धारित दो स्तर के प्रकरणों में प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य 31 अगस्त तक तथा समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य 30 सितम्बर तक अंकित करने की व्यवस्था है। प्रविष्टि अंकन के लिए निर्धारित तीन स्तर के मामलों में प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित करने हेतु क्रमशः 31 जुलाई, 31 अगस्त तथा 30 सितम्बर की तिथि नियत है।

2. शासन द्वारा उक्त शासनादेश पर विचार करते हुए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

(1) स्वमूल्यांकन 15 मई तक उपलब्ध करायें जायें।
(2) जहाँ प्रविष्टि अंकित करने के लिए दो स्तर निर्धारित हैं, वहाँ प्रतिवेदक प्राधिकारी अपना मन्तव्य 31 अगस्त तक तथा समीक्षक/ स्वीकर्ता प्राधिकारी अपना मन्तव्य 30 सितम्बर, तक अंकित कर दें।
(3) जिन मामलों में प्रविष्टि अंकित करने के तीन स्तर निर्धारित हैं, उनमे प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी अपना मन्तव्य कमशः 31 जुलाई, 31 अगस्त तथा 30 सितम्बर तक अंकित कर दें।
(4) मण्डल/जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रविष्टि अंकित करने के विशेष अधिकार के तहत मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपनी प्रविष्टियाँ 31 अगस्त तक उपलब्ध करा दें।
(5) यदि संबंधित प्राधिकारी निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अपना मन्तव्य अंकित नहीं करते तो उनके मन्तव्य की प्रतीक्षा किए बगैर अगले स्तर के प्राधिकारी संबंधित प्रपत्र तलब करके प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

उपयुक्त समय सारिणी ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों की सुविधा हेतु निर्धारित की गयी है। यदि वेष्टि अंकित करने में किसी कारणवश् निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन नहीं हो पाता है, तो नियत समय सारणी के बाद अंकित की गई कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्ट को नियमित/अवैध/कालबाधित नहीं मानी जायेगी।

4. शासनादेश संख्या-36/1/1976-कार्मिक-2, दिनांक 30 अप्रैल,1991 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(बी.एन. दीक्षित,)
विशेष सचिव।

संख्या-36/1/1976-कार्मिक-2/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(पी.एन. सत्य)
संयुक्त सचिव।